

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर**

पंचायत अधिकारी- सुश्री गरिमा लोटा (आवरण)

दावा संख्या 228 / 2022

जगनसिंह पुत्र परमाराम जाति जाट निवासी जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर

-वादी-

बनाम

1. जवाहरसिंह पुत्र नारायणराम
2. जैसाराम पुत्र नारायणराम
3. डाली देवी पत्नि किशनाराम समस्त जाति जाट निवासी गण ग्राम जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर
4. सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा पिपराली रोड तहसील व जिला सीकर जरिये शाखा प्रबंधक
5. पटवा पटवार हल्का भदवासी तहसील व जिला सीकर
6. तहसीलदार सीकर

- प्रतिवादीगण -

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम


तहसीलदार सीकर के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भूअ/ 2022/5643 दिनांक 17.10.2022 के अनुसार वकील वादीपक्ष की सहमति से अंतिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार इसी अनुसार अमल दरामद व तरमीम करें।

  
(गरिमा लोटा)

उपखण्ड अधिकारी सीकर  
**उपखण्ड अधिकारी सीकर**

वाद के खर्चे		प्रतिवादी	
वादी	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	36.00
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख 29.11.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

  
उपखण्ड अधिकारी सीकर  
उपखण्ड अधिकारी- सीकर